न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस
प्रकरण संख्या 22/2023 रा.वा.
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/95
उनवान

1. श्री नाथुलाल पिता मावाजी पटेल उम्र बालिग निवासी खेराड, तहसील सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर।
2. श्रीमती पेमी बाई पत्नि मावाजी पटेल उम्र बालिग निवासी खेराड, तहसील सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर।

— वादीगण

बनाम

1. श्री कचरा पिता रतना जी पटेल फौत के बजाय वारिसान
   1/1 श्रीमती देउ पत्नी कचरा पटेल उम्र बालिग निवासी खेराड तह. सलूम्बर।
   1/2 श्री मोडाराम पिता कचरा पटेल उम्र बालिग निवासी खेराड तह. सलूम्बर।
2. श्रीमान् भूमीधारी तहसीलदार साहब, सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)

—प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा—53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—::निर्णय::—

कलेक्टर सलूम्बर (राज.)

दिनांकः—29/09/25

उपस्थितिः श्री राकेश प्रजापत अधिवक्ता—वादीगण
श्री प्रकाश कुमार चौबिसा अधिवक्ता — प्रतिवादी सं. 1/1 व 1/2

वादीगण ने वाद बाबत् पांती बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण मे निर्णय दिनांक 01—07—2024 द्वारा प्रकरण मे बंटवाडे की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई। प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट तहसीलदार सलुम्बर के पत्रांक 489 दिनांक 06—11—2024 से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट का अवलोकन उभयपक्ष को करवाया गया। वकील वादी ने प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट पर आपत्ति पेश कर अंकित किया कि पालना रिपोर्ट मे वादी के हिस्से मे 0.18 हैक्टेयर कृषि भूमि कम दशार्यी गई है जो वादी के अधिकारो से वंचित करता है। इसमे आराजी नम्बर 2254 रकबा 0.16 हैक्टेयर कृषि भूमि वादी के हिस्से मे आने से दोनो पक्षो के बराबर हिस्सा आएगा। अतः निवेदन है कि मौके व रेकर्ड के अनुरूप प्रारम्भिक रिपोर्ट का पुनः परिक्षण कर हिस्से अनुसार प्रारम्भिक डिक्री रिपोर्ट पेश किये जाने का आदेश प्रदान करावे। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने वादी की आपत्ति का जवाब पेश नही कर सीधे बहस

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

किये जाने का निवेदन किया। प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट पर प्रस्तुत आपत्ति पर उभयपक्ष को सुना गया।

अधिवक्ता वादीगण ने बहसम में आपत्ति अंकित तथ्यो को दोहराते कथन किया कि पालना रिपोर्ट मे वादी के हिस्से मे 0.18 हैक्टेयर कृषि भूमि कम दशार्यी गई है जो वादीगण के अधिकारो से वंचित करता है। इंसमे आराजी नम्बर 2254 रकबा 0.16 हैक्टेयर कृषि भूमि वादी के हिस्से मे आने से दोनो पक्षो के बराबर हिस्सा आएगा। अतः आराजी नम्बर 2254 रकबा 0.16 हैक्टेयर कृषि भूमि वादी के हिस्से रखते हुए अन्य शेष आराजीयात मे मुताबिक रिपोर्ट अन्तिम डिक्री करवाया जाना जाहिर किया है।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने बहस मे कथन किया कि पालना रिपोर्ट सही है जिस पर प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है मुताबिक रिपोर्ट अन्तिम डिक्री करवाया जाना जाहिर किया है।

बहस मनन की गई। तथा पालना रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पालना रिपोर्ट में वादी नाथुलाल पिता मावा डांगी व पेमी बाई पति स्व. मावा डांगी के हिस्से आराजी नम्बर / रकबा 1929 / 0.09, 2069 / 0.11, 2251 / 1 / 0.07, 2252 / 0.22, 2253 / 0.22, 2257 / 0.09, 2275 / 0.16, 2276 / 0.01, 2277 / 0.09, 2489 / 2 / 0.015, 2644 / 0.02, 2659 / 0.06, 2660 / 1 / 0.05, 2702 / 0.07, 2704 / 0.14, 3862 / 0.11, 3877 / 0.12, 3878 / 0.03, 3879 / 1 / 0.17, 4434 / 0.11, 4435 / 1 / 0.18, 4435 / 3 / 0.09 किता 22 रकबा 2.225 हैक्टेयर दर्शाया है तथा प्रतिवादीगण के हिस्से आराजी नम्बर / रकबा – 1930 / 0.09, 2066 / 0.03, 2109 / 0.01, 2111 / 0.03, 2117 / 0.06, 2188 / 0.09, 2251 / 2 / 0.07, 2254 / 0.16, 2258 / 1 / 0.30, 2273 / 0.32, 2274 / 0.01, 2278 / 0.03, 2279 / 0.16, 2489 / 1 / 0.015, 2642 / 0.06, 2658 / 0.06, 2660 / 2 / 0.05, 2694 / 0.05, 2695 / 0.06, 2696 / 0.08, 3863 / 0.12, 3876 / 0.13, 3879 / 2 / 0.18, 4435 / 2 / 0.18, 4435 / 4 / 0.09, 4843 / 2124 / 0.07 किता 26 रकबा 2.505 हैक्टेयर दर्शाया है तथा आराजी नम्बर 2260 / 0.12, 2261 / 0.01, 2258 / 2 / 0.01 कुल किता 03 रकबा 0.14 हैक्टेयर भूमि वादी एंव प्रतिवादीगण के शामलाती दर्शायी है। जिससे जाहिर होता है कि पालना रिपोर्ट मे पक्षकरो के हिस्से के अनुरूप रकबा अंकित नही कर प्रतिवादीगण के हिस्से अधिक भूमि अंकित है। राजस्व जमाबंदी मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण के दर्ज हिस्से तथा प्राथमिक डिक्री के अनुसार वाद वर्णित भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा अर्थात बराबर–बराबर हिस्सा है। तहसीदार द्वारा प्रस्तुत पालना रिपोर्ट मे वादीगण के हिस्से प्रतिवादीगण की तुलना मे 0.280 हैक्टेयर भूमि कम अंकित की है। वादीगण की आपत्ति स्वीकार योग्य है। पालना रिपोर्ट में आराजी नम्बर 2254 रकबा 0.16 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादीग के हिस्से से कम कर वादीगण के हिस्से रखते है तो वादीगण के हिस्से कुल रकबा 2.385 हैक्टेयर भूमि तथा प्रतिवादीगण के हिस्से 2.505–0.16 = 2.345 हैक्टेयर भूमि आयेगी जिससे उभयपक्ष को हिस्से अनुसार लगभग बराबर–बराबर हिस्सा मिलेगा। अतः पालना रिपोर्ट अंकित आराजी नम्बर 2254 रकबा 0.16 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादीग के हिस्से से कम कर वादीगण के हिस्से रखते हुए अन्य शेष आराजीयात मे मुताबिक रिपोर्ट अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायाहित में उचित प्रतीत होता है।

अतः अधिवक्ता उभयपक्ष को सुनने व पालना रिपोर्ट के अवलोकन उपरान्त मौजा खेराड पटवार हल्का खेराड तह. सलूम्बर जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 खाता संख्या 336–299 कुल किता 43 रकबा 4.87 हैक्टेयर आराजीयात की भूमि मे निम्नानुसार

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर जिला –सलूम्बर
बजरिये:– श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.

उनवान–श्री नाथुलाल व अन्य वनाम श्रीमती देउ व अन्य

वाद संख्या–22/2023
वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. एक्ट.

विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री मुर्तिब किये जाने के आदेश दिये जाते है–

1. वादीगण नाथुलाल पिता मावा डांगी, पेमी बाई पति स्व. मावा डांगी के हिस्से संयुक्त रूप से आराजी नम्बर– 1929/0.09, 2069/0.11, 2251/1/0.07, 2252/0.22, 2253/0.22, 2257/0.09, 2275/0.16, 2276/0.01, 2277/0.09, 2489/2/0.015, 2644/0.02, 2659/0.06, 2660/1/0.05, 2702/0.07, 2704/0.14, 3862/0.11, 3877/0.12, 3878/0.03, 3879/1/0.17, 4434/0.11, 4435/1/0.18, 4435/3/0.09, 2254/0.16 कुल किता 23 रकबा 2.385 हैक्टेयर भूमि रखी जावे।

2. प्रतिवादीगण मोडाराम पिता कचना डांगी, देउबाई पति स्व. कचरा डांगी के हिस्से संयुक्त रूप से आराजी नम्बर– 1930/0.09, 2066/0.03, 2109/0.01, 2111/0.03, 2117/0.06, 2188/0.09, 2251/2/0.07, 2258/1/0.30, 2273/0.32, 2274/0.01, 2278/0.03, 2279/0.16, 2489/1/0.015, 2642/0.06, 2658/0.06, 2660/2/0.05, 2694/0.05, 2695/0.06, 2696/0.08, 3863/0.12, 3876/0.13, 3879/2/0.18, 4435/2/0.18, 4435/4/0.09, 4843/2124/0.07 कुल किता 25 रकबा 2.345 हैक्टेयर भूमि रखी जावे।

3. खातेदार नाथुलाल पिता मावा डांगी, पेमी बाई पति स्व. मावा डांगी, मोडाराम पिता कचरा डांगी देउ बाई पति स्व. कचरा डांगी के संयुक्त रूप से हिस्से आराजी नम्बर 2260/0.12, 2261/0.01, 2258/2/0.01 कुल किता 03 रकबा 0.14 हैक्टेयर भूमि शामलाती रहेगी।

प्रस्तावित नक्शा ट्रेस मे दर्शीत आराजी नम्बर 2254/0.16 वादीगण के हिस्से रखते हुए अन्य शेष आराजीयात की भूमि प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुरूप रहेगी जो कि उक्त डिक्री का जूज हिस्सा है। माफिक निर्णय अंतिम डिक्री जारि की जाकर पालार्थ तहसीलदार सलूम्बर को निर्णय एवं डिक्री की एक प्रति को भेजी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय दिनांक 29/09/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर
जिला–सलूम्बर

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश–20 के नियम–6 और 7)

न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 22/2023 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/95

उनवान

1. श्री नाथुलाल पिता मावाजी पटेल उम्र बालिग निवासी खेराड, तहसील सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर।
2. श्रीमती पेमी बाई पत्नि मावाजी पटेल उम्र बालिग निवासी खेराड, तहसील सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर।

– वादीगण

बनाम

1. श्री कचरा पिता रतना जी पटेल फौत के बजाय वारिसान
   1/1 श्रीमती देउ पत्नी कचरा पटेल उम्र बालिग निवासी खेराड तह. सलूम्बर।
   1/2 श्री मोडाराम पिता कचरा पटेल उम्र बालिग निवासी खेराड तह. सलूम्बर।
2. श्रीमान् भूमीधारी तहसीलदार साहब, सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)

–प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांकः–29/09/25

वादीपत्र अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादीगण की और से एडवोकेट श्री राकेश प्रजापत एवं प्रतिवादीगण की ओर से एडवोकेट श्री प्रकाश कुमार चौबिसा की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 29.09.2025 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है कि मौजा खेराड पटवार हल्का खेराड तह. सलूम्बर जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 खाता संख्या 336–299 कुल किता 43 रकबा 4. 87 हैक्टेयर आराजीयात की भूमि मे निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री मुर्तिब किये जाने के आदेश दिये जाते है–

1. वादीगण नाथुलाल पिता मावा डांगी, पेमी बाई पति स्व. मावा डांगी के हिस्से संयुक्त रूप से आराजी नम्बर 1929/0.09, 2069/0.11, 2251/1/0.07, 2252/0.22, 2253/0.22, 2257/0.09, 2275/0.16, 2276/0.01, 2277/0.09, 2489/2/0.015, 2644/0.02, 2659/0.06, 2660/1/0.05, 2702/0.07, 2704/0.14, 3862/0.11, 3877/0.12, 3878/0.03, 3879/1/0.17, 4434/0.11, 4435/1/0.18, 4435/3/0.09, 2254/0.16 कुल किता 23 रकबा 2.385 हैक्टेयर भूमि रखी जावे।

2. प्रतिवादीगण मोडाराम पिता कचना डांगी, देउबाई पति स्व. कचरा डांगी के हिस्से संयुक्त रूप से आराजी नम्बर– 1930/0.09, 2066/0.03, 2109/0.01, 2111/0.03, 2117/0.06, 2188/0.09, 2251/2/0.07, 2258/1/0.30, 2273/0.32, 2274/0.01, 2278/0.03, 2279/0.16, 2489/1/0.015, 2642/0.06, 2658/0.06,

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

2660 / 2 / 0.05, 2694 / 0.05, 2695 / 0.06, 2696 / 0.08, 3863 / 0.12, 3876 / 0.13, 3879 / 2 / 0.18, 4435 / 2 / 0.18, 4435 / 4 / 0.09, 4843 / 2124 / 0.07 कुल किता 25 रकबा 2.345 हैक्टेयर भूमि रखी जावे।

3. खातेदार नाथुलाल पिता मावा डांगी, पेमी बाई पति स्व. मावा डांगी, मोडाराम पिता कचरा डांगी देउ बाई पति स्व. कचरा डांगी के संयुक्त रूप से हिस्से आराजी नम्बर 2260 / 0.12, 2261 / 0.01, 2258 / 2 / 0.01 कुल किता 03 रकबा 0.14 हैक्टेयर भूमि शामलाती रहेगी।

प्रस्तावित नक्शा ट्रेस मे दर्शीत आराजी नम्बर 2254 / 0.16 वादीगण के हिस्से रखते हुए अन्य शेष आराजीयात की भूमि प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुरूप रहेगी जो कि उक्त डिक्री का जूज हिस्सा है। पालार्थ तहसीलदार सलूम्बर को डिक्री की एक प्रति को भेजी जावे।

यह डिक्री आज तारीख 29–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वादे के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	वादी	रूपये	पैसे
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	04	00	1. शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प	02	00
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	01	00	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	00	00
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	00	00	3. प्लीडर की फीस	00	00
4. रूपयेपरलीडर की फीस	00	00	4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00
5.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	5. आदेशिका की तामील	00	00
6.कमिश्नर की फीसतलवाना	01	00	6. कमिश्नर की फीस	00	00
7. आदेशिका की तामील	02	00			00
8. स्टाम्प		00			
योग	07	00		02	00

सहायक कलक्टर
सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर